International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 1, January 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारतीय महिलाओं की स्थिति एवं जागरूकता और सशक्तिकरण का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. निशी सिन्हा
सहायक आचार्य (इतिहास विभाग)
श्री वीर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान)
(राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान)

लेख सार :

''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता''

अर्थात, ''जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, वहाँ पर भगवान प्रसन्न होते हैं और जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उनका हर प्रयास विफल हो जाता है।''

देश के राजनैतिक–आर्थिक विकास के लिए महिला नेतृत्व विकास अति आवश्यक हैं और इसी कारण देश के विकास के लिए महिलाओं को मुख्य धारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता रही है। महिला नेतृत्व विकास भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत विकास, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरूषों की समान भागीदारी भारतीय समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति–निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं होगी। अभी महिला नेतृत्व विकास के लिए बहुत रास्ते पार करने हैं, बहुत से कदम उठाने बाकी हैं, इसलिए लचीली एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति पुरूषों एवं स्वयं महिलाओं की धारणा में बदलाव लाना जरूरी है। महिलाओं का काम सिर्फ घर की देखभाल एवं संतान पैदा करना नहीं, बल्कि सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक क्षेत्र में पुरूष एवं महिला समान रूप से साझेदार होते हैं। इसके लिए शिक्षा के जरिए पुरूष एवं महिला दोनों में जागरूकता का प्रसार किया जाना है।

लेख शब्द : सशक्तीकरण, जागरूकता, सहभागिता, संवेदनशीलता, प्रतिनिधित्व, विडम्बना, पुरातनपंथी, राजनीतिकरण, नेतृत्व।

लेख :

भारत में स्त्रियों (महिलाओं) की स्थिति का विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग स्त्रियों का है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव परिवर्तनशील रही है। स्त्रियों की स्थिति में जितना अधिक उतार–चढ़ाव भारतीय समाज में देखने को मिलता है, उतना अन्य किसी समाज में नहीं। स्त्रियों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसमें किस प्रकार परिवर्तन हआ है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र काल, मध्यकालीन युग तथा आधुनिक युग में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना होगा।

(1) वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति : – वैदिक काल में लड़कों एवं लड़कियों को समान समझा जाता था। उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्म–विकास, शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में प्रायः पुरुषों के समान थी। कुछ लोग तो विदुषी कन्या प्राप्त करने के लिए कर्मकाण्ड तक करते थे। यजुर्वेद के अनसार स्त्रियों की उपनयन का अधिकार था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवा विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। पत्नी के रूप में उनकी स्थिति बहुत उच्च थी। अपत्नीक व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। विवाह वयस्क आय में होते थे। महाभारत के अनुसार, ''वह घर घर नहीं, यदि उस घर में पत्नी नहीं।'' अथर्ववेद में लिखा है कि ''नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 1, January 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

की तू साम्राज्ञी है। तेरे श्वसुर, सास, देवर और अन्य व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हों।''

(2) उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति : – ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष पश्चात् तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस काल में 'महाभारत' की रचना हुई। महाभारत से स्पष्ट होता है कि इस काल में स्त्रियों को सामाजिक तथा धार्मिक, दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन इस काल में स्त्रियों की उच्च स्थिति अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुँची तथा उनकी शिक्षा साधारण स्तर पर आ गई। इसका कारण यह था कि धर्मसूत्रों ने बाल–विवाह का निर्देश दिया। उनके ऊपर धार्मिक संस्कार में भाग लेने पर रोक लगाई गई। 'स्कन्द पुराण' में पतिव्रता स्त्री के लिए कुछ नियमों का उल्लेख किया गया। 'पद्म पुराण' में पतिव्रता स्त्री को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने की बात कही गई। पद्म पुराण के अनुसार, ''वह स्त्री पतिव्रता है जो सेवा में दासी की भाँति, सम्भोग में अप्सरा की भाँति, भोजन देने में माँ की भाँति तथा विपत्ति में मन्त्री की भाँति काम करने वाली हो।'' 'मनुस्मृति में स्त्रियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। स्मृतिकारों ने स्त्री को प्रत्येक अवस्था में परतन्त्र बना दिया।

(3) धर्मशास्त्र काल में महिलाओं की स्थिति : – यह काल तीसरी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक का है। इस काल में 'पराशर', 'विष्णु' तथा 'याज्ञवल्क्य' संहिताओं की रचना का आधार 'मनुस्मृति' था। इस युग में स्त्रियों की दशा और निम्न हो गई। स्त्रियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया तथा विवाह की आयु 12–13 वर्ष कर दी गई। बाल–विवाह होने के कारण स्त्री शिक्षा में अत्यन्त गिरावट आ गई। मनुस्मृति के अनुसार, ''स्त्रियों को किसी अवस्था में भी स्वतन्त्र न रखा जाए। बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति और वद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखना उचित होगा।'' इस काल की रचनाओं में पति भक्ति को ही स्त्री का कर्म मान लिया गया। विधवा पुनर्विवाह पर कठोर पतिबन्ध लगा दिए गए तथा विधवा स्त्री का सती होना सर्वोत्तम माना गया।

(4) मध्य काल में महिलाओं की स्थिति : – 11वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर 18वीं शताब्दी तक के समय को मध्य काल कहते हैं। इस काल में स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गई। इसका प्रमुख कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना थी। ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए स्त्रियों के लिए धर्म सम्बन्धी नियम कठोर कर दिए। ऊँची जातियों में भी उच्च शिक्षा समाप्त हो गई। लड़कियों के विवाह की आय 8–9 वर्ष रह गई तथा पर्दा प्रथा को और अधिक प्रोत्साहित किया गया। बाल्यावस्था से ही उन्हें गृहस्थी का भार सँभालना पड़ा। इस काल में विधवाओं का पुनर्विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सती प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहँच गई। उनके समस्त अधिकार छीन लिए गए तथा स्त्री की स्थिति एक दासी के समान रह गई। इस युग में केवल स्त्रियों के सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में कुछ सुधार हुआ। मिताक्षरा और दायभाग के अनुसार स्त्री को अपने पति की सम्पत्ति का कुछ भाग मिल सकता था। जिन लड़कियों के भाई नहीं होते थे, उन्हें पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था।

(5) आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति : – स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तक स्त्रियों की स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ। वे अनेक प्रकार की निर्योग्यताओं की शिकार थीं। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा नौकरी करने का अधिकार नहीं था। परिवार में पुत्री, पत्नी अथवा विधवा के रूप में उसकी स्थिति दयनीय थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक सामाजिक अधिनियम पारित किए गए हैं, जिनमें हिन्दू विधवा अधिनियम (1955), हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), हिन्दू नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम (1956), हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम (1956), दहेज निरोधक अधिनियम (1961) आदि प्रमुख हैं। इन अधिनियमों

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 1, January 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करने व उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने में महत्त्वपर्ण भमिका निभाई है। इन अधिनियमों के फलस्वरूप स्त्रियों को अपना जीवनसाथी चुनने की स्वतन्त्रता मिल गई है। स्त्रियों को बच्चा गोद लेने तथा विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति मिल गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को पृथक् रहने पर भरण–पोषण का अधिकार प्राप्त हुआ है। स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्पत्ति के अधिकार से परिवार में उनकी स्थिति अधिक सम्मानपूर्ण हो गई है। पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी तलाक का अधिकार मिल गया है। स्त्रियों को सामाजिक तथा मानसिक सुरक्षा प्राप्त हुई है।

भारत ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका

आजादी के बाद से भारत ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक बढ़िया छलांग लगाई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार और समाज को बहुत कुछ बदलने और काम करने की जरूरत है। महिला संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य की संख्या अभी भी कम है। लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिला पुनर्वसन विधेयक और राज्य विधान सभाओं में संसद में सभी मुख्य दलों द्वारा एक आक्रोश देखा गया। महिला सुरक्षा, महिला शिशु हत्या, कम लिंग अनुपात, महिला निरक्षरता, माताओं की उच्च मृत्यु दर और कई और अधिक समस्याएं अभी भी 21वीं सदी के भारत में चिंता है। यह अब भारत के लोगों और विशेषकर महिलाओं को उनके उत्थान के लिए काम करने और भारतीय राजनीति में निर्णायक भागीदारी करने के लिए निर्भर करता है।

महिलाओं के लिए राजनीतिक सुधार आत्मनिर्भरता, बेहतर स्वस्थ देखभाल और सुधार शिक्षा शामिल होना चाहिए। हमें एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है जो कि वोट बैंक, पैसा और बाहुबल के गंदे खेल नहीं बल्कि एक बड़े संयुक्त परिवार के रूप में राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मकता लाएँ। इसलिए वास्तव में निष्पक्ष राजनीतिक संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि राजनीति को दशकों से पल रही कुरीतियों से मुक्त किया जाए। केवल विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों से महिलाएं बैकअप और पितृसत्तात्मक समर्थन के साथ सत्ता में नहीं आती हैं, लेकिन वास्तव में प्रतिभाशाली और समर्पित महिलाओं को भी भारत की राजनीतिक तस्वीर को बढ़ाने और चमकने का एक उचित मौका मिलता है।

वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में महिला सहभागिता एक आवश्यक तत्व है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है। अतः लोकतंत्र में जन चेतना एवं जन–सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मूर्तरूप प्रदान करने का सशक्त माध्यम होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग तथा महिला सहस्त्राब्दी में महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता एवं महिला विकास के प्रति बढ़ती चेतना के फलस्वरूप जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ राजनीति में भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की सहभागिता आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय बन गया हैं।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य व्यक्तिगत स्तर पर (स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार) तथा सामूहिक स्तर पर अपनी समस्याओं के समाधान की कार्यवाही करने के लिए संगठन बनाने और लोगों को जुटाने की योग्यता प्राप्त करना है। महिलाओं का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, सत्ता व निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी शिक्षा व जागरूकता में वृद्धि, प्रगति विकास और आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना महिला सशक्तिकरण है।

महिला सशक्तिकरण की माप हेतु निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है –

1. संसद, विधान मंडलों में उनकी भागीदारी का अंश व निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनका समुचित प्रतिनिधित्व। 2. व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात व शिक्षा की सुविधाओं

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 1, January 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

की उपलब्धता। 3. आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण और उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी। 4. महिलाओं की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति। 5. महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना की समाप्ति।

आज आजादी के 70 सालों बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नही कही जा सकती। आधुनिकता के विस्तार के साथ–साथ देश में दिन–प्रतिदिन बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या के आंकड़े चौकाने वाले हैं। उन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति–रिवाजों, कुत्सित रूढ़ियों, यौन अपराधों, लैंगिक भेद–भावों, घरेलू हिंसा, निम्न स्तरीय जीवन शैली, अशिक्षा, कुपोषण, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रूणहत्या, सामाजिक असुरक्षा, तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में रक्षा और प्रशासन सहित लगभग सभी सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, उनकी स्वायत्तता तथा अधिकारों का कानूनी एवं राजनैतिक संरक्षण, तेजी से बदलते सकारात्मक सामाजिक नजरिये, सुधरते शैक्षणिक स्तर, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उनकी प्रतिभागिता एवं कौशल तथा सिनेमा, रचनात्मकता, व्यापार, संचार, विज्ञान तथा तकनीकि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव भी देखने में सामने आये हैं। लेकिन यह महज शुरुआत भर है। जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग में महिलाओं की पुरुषों के बराबर भागीदरी सुनिश्चित नहीं हो जाती, वे हर प्रकार से शिक्षित, सुरक्षित तथा संरक्षित नही हो जातीं, तब तक हमारी आजादी अधूरी मानी जायेगी।

कहा जाता है कि वैदिक युग में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। उन्हें यज्ञों में सम्मिलित होने, वेदों का पाठ करने तथा शिक्षा हासिल करने की आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद् गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी कई महिला विदुषियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसा कि प्राचीन भारत में कहा जाता रहा है– यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता। अर्थात् जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। स्मृतियों नें (खासकर मनुस्मृति) स्त्रियों पर पाबंदियाँ लगाना शुरु किया। यहीं से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरु हो गई। भारत पर ईस्लामी आक्रमण के बाद तो हालात बद से बदतर हो गये। इसी समय पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, सती–प्रथा, जौहर और देवदासी जैसी घृणित धार्मिक रूढ़ियाँ प्रचलन में आईं। मध्ययुग में भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के प्रयास जरूर किये, पर वो उस हद तक सफल नहीं रहे। सिर्फ चुनिंदा स्त्रियाँ, जैसे कि – मीराबाई, अक्का महादेवी, रामी जानाबाई और लालदेद ही इस आंदोलन का सफल हिस्सा बन सकीं। इसके तुरंत बाद सिख–धर्म प्रादुर्भाव में आया। इसनें भी युद्ध, नेतृत्व एवं धार्मिक प्रबंध समितियों में महिलाओं एवं पुरुषों की बराबरी के उपदेश दिये।

अंग्रेजी शासन ने अपनी तरफ से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के कोई विशेष प्रयास नही किये, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में उपजे अनेक धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों जैसे– ब्रह्म समाज (राजा राम मोहन राय), आर्य समाज (स्वामी दयानंद सरस्वती), थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन(स्वामी विवेकानंद), ईश्वरचंद्र विद्यासागर(स्त्री–शिक्षा), महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले (दलित स्त्रियों की शिक्षा) आदि ने अंग्रेजी सरकार की सहायता से महिलाओं के हित में सती प्रथा का उन्मूलन, 1829 (लार्ड विलियम बेंटिक) सहित कई कानूनी प्रावधान पास करवाने में सफलता हासिल की। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस दौर में युद्ध, राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म से कुछ सुप्रसिद्ध स्त्रियों के नाम उभरकर सामने आते हैं। जिनमें से रजिया सुल्तान (दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी), गोंड की महारानी– दुर्गावती, शिवाजी महाराज की माता–जीजाबाई, कित्तूर की रानी– चेन्नम्मा, कर्नाटक की महारानी– अब्बक्का, अवध की सह–शासिका बेगम हजरत महल, आगरा की नूरजहां तथा झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के नाम प्रमुख हैं।

ऐसे तो पहले भी माता तपस्विनी, मैडम कामा, और सरला देवी जैसी कई क्रांतिकारी महिलाएँ भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थीं, किंतु गांधीजी के आवाहन के बाद यह संख्या कई गुना और बढ़ गई। शांति घोष, स्मृति चौधरी, बीना दास, प्रीतिलता वाडेडकर, बनलतादास गुप्ता,

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 1, January 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

विजयलक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, दुर्गाबाई देसमुख, कैप्टेन लक्ष्मी सहगल, तथा सरोजिनी नायडू भारत की आजादी के संघर्ष में शामिल होने वाली प्रमुख महिलाएं हैं। इनके अतिरिक्त कई विदेशी महिलाओं– मीरा बेन (मेडलीन स्लेड), सरला बेन(कैथरीन मेरी हीलमेन), एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता आदि ने भी इस आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विडम्बना तो यह है कि इतने सारे कानूनी प्रावधानों के होने के बावजूद देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी होने की बजाय वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो(NCRB) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुईं। इस वर्ष केवल बलात्कार के 36735 मामले दर्ज किए गये, जो 2012 में दर्ज (24923) मामलों से कहीं ज्यादा अधिक थे। यूनिसेफ की रिपोर्ट 'हिडेन इन प्लेन साइट' के मुताबिक भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 34 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति/साथी के हाथों यौन हिंसा झेली है। इंटरनेशनल सेंटर– रिसर्च ऑन वीमेन के अनुसार भारत में 10 मे से 6 पुरुषों ने कभी न कभी पत्नी अथवा प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार किया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक 2014 से 2016 के बीच देश भर में बलात्कार 1,10,333 मामले दर्ज किए गये हैं। NCRB के अनुसार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध हुए अत्याचारों में दो गुने से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है। इस संबंध में देश में हर घंटे करीब 26 आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। यह स्थिति बेहद ही भयावह है। इसके अतिरिक्त कई अन्य चिंतायें भी जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सरोकार, घर के महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में भूमिका की कमी, दोहरा सामाजिक रवैया, प्रशिक्षण का अभाव, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, गरीबी एवं धार्मिक प्रतिबंध शामिल हैं। यूएनडीपी (मानव विकास रिपोर्ट) 1997 के अनुसार भारत में 88 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता का शिकार हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण पाने के बहुत कम उपाय प्रयोग किये जाते हैं, जिससे बार–बार गर्भधारण और शारीरिक अक्षमता के चलते कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याऐं आये दिन देखनें में आती रहतीं हैं।

हालांकि कुछ महिलायें इन सभी चुनौतियों से पार पाकर विभिन्न क्षेत्रों में देश के सम्माननीय स्तरों तक भी पहुंची हैं, जिनमें श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रतिभादेवी सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, महादेवी वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, लता मंगेशकर, आशा भोषले, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अल्का याज्ञनिक, सुश्री मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय, चंदा कोचर, पी.टी. ऊषा, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, साक्षी मलिक, पी. वी. सिंधू, हिमा दास, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, मिथाली राज, हरसन प्रीत कौर, गीता फोगाट तथा मैरी कॉम आदि नाम उल्लेखनीय हैं।

भारत जैसे पुरुष–प्रधान देश में 70 के दशक से महिला सशक्तिकरण तथा फेमिनिज्म शब्द प्रकाश में आये। जिनमें 1990 के भूण्डलीकरण तथा उदारवाद के बाद विदेशी निवेश द्वारा स्थापित गैर–सरकारी संगठनों के रूप में अभूतपूर्व तेजी आई। इन संगठनों ने भी महिलाओं को जागृत कर उनमें उनके अधिकारों के प्रति चेतना विकसित करने तथा उन्हें सामाजिक/आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महती भूमिका अदा की है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं में प्रचलित निकाह–हलाला, तथा तीन तलाक जैसे पुरातनपंथी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कानूनी लड़ई लड़ने में मदद की है। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर–प्रदेश आदि में कन्या–भ्रूण हत्या को रोककर लिंग अनुपात के घटते स्तर को संतुलित करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना चलाई जा रही है।

इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता में सभी राजनीतिक गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं, जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित एवं निर्धारित करने में समाज के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर की जाती

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 1, January 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

है। व्यक्ति राजनीति में व्यवहार या क्रिया के लिए विभिन्न साधनों हित समूहों, दबाव समूहों राजनीतिक दलों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा अभिमुखीकृत होता है। राजनीतिक समाजीकरण के इन साधनों से ही व्यक्ति राजनीतिक भर्ती, समाजीकरण एवं राजनीतिकरण की प्रक्रिया से जुड़ता है, जो व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता के माध्यम होते हैं इन्हीं के द्वारा वह राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के बावजूद समान शक्तियाँ और भूमिका देती है। भारत में लगभग 15 वर्षों के लिए देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान राजस्थान की मुख्यमंत्री सुश्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आधुनिक भारत की राजनीति में प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभायी है।

इस प्रकार मौन क्रांति के रूप में महिला योजनाओं के निर्माण में सहभागी हों जो उनके लिए बनायी जा रही सशक्तीकरण को विभिन्न तरीकों से बढ़ावा दिया है। यह तभी संभव हो सकता है जब वे स्वयं भी उस राजनीतिक मानसिकता को भी बदल दिया है। वे महिलाओं को पंचायती राज व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अंग हों जो नीति–निर्माण व क्रियान्वयन के लिए लेने के लिए कई तरीकों से बढ़ावा दे रहे हैं। समय के साथ महिलाएं जिम्मेदार होती जा रही हैं। इन सबके होने से महिलायें सदभाव एवं सहयोग पर आधारित बेहतर समुदायों का निर्माण कर पायेंगी जिनसे लिंग संतुलन एवं सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। इस प्रकार से महिला नेतृत्व, विकास एवं सहभागिता भविष्य में अधिक सक्षम एवं विश्वसनीय हो सकेगा। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 में महिलाओं के साथ भेदभाव को दूर करने के लिए तीन नीतिगत दृष्टिकोण अपनाये जाने की बात कही गयी है। जरूरी है कि विधिक प्रणाली और अधिक उत्तरदायी और महिलाओं की आवश्यकता के प्रति अधिक संवदेनशील हो। इसके साथ ही विशेष प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए। आँकड़े बताते हैं कि भारत में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है। प्रतीकवाद और बहानों का सहारा लिये बिना हमें आगे आकर समस्या का समाधान करना होगा। परन्तु केवल सरकारी हस्तक्षेप से काम नहीं बनेगा। बेहतर परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब दृढ़प्रतिज्ञ महिलायें स्वयं अपने आपको सशक्त बनाने का प्रयास करेंगी और इसमें उन्हें समाज के प्रबुद्ध वर्ग का प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष : महिला नेतृत्व विकास एक ऐसा महत्वपूर्ण सामाजिक घटक हैं जिसको समझने के लिए हमें अपने पारिवारिक ढाँचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर मनन करना होगा। जनगणना 2011 से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि देश में स्त्री और पुरूष का अनुपात संतुलित नहीं है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि 0–6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में भी लिंगानुपात लड़कों के पक्ष में झुका हुआ है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है। संतुलित जनसंख्या के लिए काम करना एक बड़ी चुनौती है। यदि पंचायतों में मौजूदा पूर्वाग्रहों पर विजय पाना है तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऋण सुविधायें और निर्णय लेने के अवसर के साथ–साथ कानूनी अधिकार भी प्रदान करने होंगे ताकि वे सही अर्थों में सशक्त और समर्थ बन सकें। जेंडर इक्वालिटी अर्थात स्त्री–पुरूष समानता का सिद्धान्त हमारे संविधान में ही दिया हुआ है, जिसमें महिलाओं की समानता की गारंटी निहित है। इससे वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक भेदभाव झेल रही महिलाओं की समस्याओं को दूर कर उनके पक्ष में सार्थक वातावरण तैयार करने का अवसर हमें मिलता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे कानून, विकास सम्बन्धी नीतियों,

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 1, January 2020,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

योजनाओं तथा कार्यक्र मों में महिलाओं की उन्नति हमारा प्रमुख लक्ष्य रहा है। सरकार के ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें महिला संवेदी कल्याण कार्यक्रम, सहायक सेवाएँ और जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के कार्यक्रमों के पूरक के तौर पर काम करते हैं। इस सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाना है ताकि वे राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में पुरूषों के समान और सक्रिय भूमिका अदा कर सकें।

संदर्भ सूची :

* अहमद, डॉ. शकील (2014) : 'अनुसूचित जातीय महिला नेतृत्व की राजनीतिक अभिरूचि एवं सजगता', राधा कमल मुखर्जी : चिन्तर परम्परा (नेशनल जनरल ऑफोशलाइन, ISSN 0974.0074), समाज विज्ञान संस्थान, बरेली (उ.प्र.), वर्ष 16, अक 2.
* आनन्द, ममता (2010) : 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005', ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
* कुमार, मनीष : ''महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा'', मधुर बुक्स, दिल्ली 2006
* चन्द्रपाल (2005) : 'महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्ष–5, अंक–4
* चौबे, झारखण्डे (2010) : 'इतिहास–दर्शन', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी (उ.प्र.),
* छापड़िया, डॉ. मनोज (2008) : 'स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता', सीरियल्स पब्लिकेशन
* त्यागी, सुशील कुमार एवं सुदेश (2006) : 'महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका', नेशनल सेमिनार ऑन इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन,
* तिवारी, अंशुजा व संजय तिवारी (2008) : 'महिला उद्यमिता', ओमेगा पब्लिकेशन, दरियागंज, दिल्ली।
* तिवारी, डॉ. इति (2008) : ' नारी एवं समाज', यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
* देवपुरा, प्रताप ल (2005) : ' हिला सशक्तिकरण', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय
* बर्ता, ऐस्टेव वोलार्ट (2004) : 'लैंगिक भेदभाव और विकास', लंदन, लंदन स्कूल अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान।
* भटनागर, सुरेश (2009) : 'आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ (उ.प्र.)
* भाग्यलक्ष्मी, जे. (2005) : 'महिला अधिकारिता:बहुत कुछ करना शेष', योजना, वर्ष 48, अंक 5
* भारती, रीना (2006) : 'स्त्री स्वाधीनता में बाधक तत्व', राष्ट्रीय संगोष्ठी महिला सशक्तिकरण, समाजशास्त्र विभाग, नानकचन्द एंग्लो संस्कृत (पी0जी0) कॉलेज, मेरठ (उ0प्र0)।
* शर्मा, श्रीमती राजकुमारी, एस0बी0एन0 श्रीवास्तव व एस0के0 दुबे (2008) : 'भारतीय शिक्षा और इसकी समस्याएँ', राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा–2, (उ.प्र.)
* शर्मा, राकेश (2006) : 'पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रायल
* शुक्ल, अमित (2010) : 'महिला शक्तिकरण नई सहस्त्राब्दी में अवधारणा', ओ`गा पब्लिकेशन , नई दिल्ली
* हुसैन, नदीम : ''समकालीन भारतीय समाज'' भारत बुक सेन्टर, लखनऊ 2004
* त्रिपाठी, कुसुम (2007) : 'महिलाएँ : दशा और दिशाएँ', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
* सिंह डॉ. शरद (2011) : प्राचीन भारत में स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण
* Admin. (2015) : गुप्तकाल में सामाजिक व्यवस्था
* बी. एल. गुप्ता : मध्यकालीन भारत, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, बीकानेर, ईस्वी 1971

* जर्नल ऑफ द कालेज ऑफ इण्डोलॉजी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 1961–62
* जर्नल ऑफ द रिसर्चेज ऑफ दि यूनिवर्सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, किंगशिप इन